न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या वाद पत्र -22/2021

अनवान

1. दुर्गालाल पिता श्री रामलाल धाकड़, जाति धाकड़, आयु 32 वर्ष, निवासी धारड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. ओम प्रकाश पिता श्री रामलाल धाकड़, जाति धाकड़, आयु 28 वर्ष, निवासी धारड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण

वनाम

1. कमलेश पिता श्री भंवरलाल धाकड़, जाति धाकड़, आयु वालिग, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. सत्यनारायण पिता वालचन्द धाकड़, जाति धाकड़, आयु वालिग, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. वलराम पिता लालू जी धाकड़, जाति धाकड़, आयु वालिग, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहव रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक वादी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 06.03.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मौजा धारड़ी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 35, खसरा संख्या 335 मी. रकबा 1.29 हेक्टर एवं खसरा संख्या 381 रकबा 1.97 हेक्टर कुल किता 02, कुल रकबा 3.26 हेक्टर जो खाते की वादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामलाल हिस्सा 1/2, जाति धाकड़ एवं दुर्गालाल पुत्र रामलाल हिस्सा 1/2, जाति धाकड़, सा.देह खाते दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमियां पर वादीगण खातेदारान संयुक्त रूप से खाते दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर हम दोनों भाई काबिज होकर काश्त कर रहे है। घटना दिनांक 20.06.2021 की है, मुझ वादीगण की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 335 मी. रकबा 1.29 हेक्टर भूमि पर सुबह-सुबह कृषि भूमियों की देखरेख करने गया तो वहां जाकर देखा कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 कमलेश, बालचंद, बलराम निवासीयान जालखेड़ा ने हम वादीगण की खातेदारी अधिकार कृषि भूमियों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मेरे हिस्से की भूमि में से 35 फीट चौड़ाई व 700 फीट लम्बाई में ट्रेक्टर से हंकाई कर बुवाई कर दी। हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने का प्रयास किया तो प्रतिवादीगण कमलेश, बालचंद, बलराम ने हमारे साथ गाली गलौच व मारपीट करने उतारू हो गये तथा कहने लगे कि हमने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो कर लिया, हम तो सारी जमीन पर कब्जा करेंगे तथा जो भी बीच में आएगा उसे जान से मार देंगे, इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 335 मी. में हमारे हिस्से की भूमि पर 35 फिट चौड़ाई व 700 फीट लम्बाई में जमीन हांककर फसल बुवाई कर कब्जा कर लिया है तथा 12X700 वर्गफीट भूमि पर झिंकरा डालकर रास्ता बना लिया है तथा खेत के दो टूकड़े कर दिये है तथा 35X700 फिट पर कब्जा कर लिया है। इस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 को बेदखली व स्थाई निशेधाज्ञा का वाद न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री व आदेश जारी फरमाया जावे कि:- (अ) ग्राम मौजा धारड़ी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की कृषि आराजी संख्या 335 मी. रकबा 1.29 हेक्टर में जितने हिस्से पर कब्जा कर रखा तथा रास्ता बना रखा है से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान कर तदनुसार डिक्री जारी फरमायी जावे। (ब) ग्राम मौजा धारड़ी, प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की कृषि आराजी संख्या 335 मी. रकबा 1.29 हेक्टर जो वादीगण के संयुक्त रूप से खाते दर्ज रिकॉर्ड है से प्रतिवादीगण को बेदखल कर जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें, इस बाबत् आदेश प्रदान कर डिक्री जारी फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा इस प्रकार है कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 में वादी दुर्गालाल के दावे में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार नहीं है, यह आराजीयात दुर्गालाल व उसके भाई ओमप्रकाश के शामिल खाते में दर्ज थी, जो वादी अपना हिस्सा भूलेश देवी को बेचान कर चुका है। वाद पत्र में कॉलम संख्या 02 पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है,प्रतिवादीगण ने कभी भी वादी के हिस्से की 35 फुट चोटी व 700 फीट लम्बी जमीन ट्रेक्टर से हॉक कर बुवाई नहीं की है, सभी बाते गलत होने से स्वीकार नहीं है, वादी को प्रतिवादीगण ने कोई धमकिया नहीं दी है। प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन में 12X700 फीट की जमीन पर कोई झीकरा नहीं डाला प्रतिवादीगण ने सरकारी रास्ते में जहां पर खडडे हो रहे थे, उन खडडो को भरने के लिए अपने कुए का झीकरा डाल कर रास्ते का लेवल कराया है,वह रास्ता वादी के खातेदारी की जमीन में नही है,सरकारी रास्ता है,वादी की जमीन व आम रास्ते के बीच पत्थरों की 4फुट उची कोट बना रखी है,प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन में ना तो हंकाई बुआई की है और झीकरा भी वादी की जमीन में नहीं डाला है, वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण वादी की जमीन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे है और उसकी जमीन में भी नहीं जा रहे है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कारण नहीं बनता है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 में गलत होने से स्वीकार नहीं है, सभी बाते गलत लिखी गई है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रार्थीगण ने ग्राम धारडी की आराजी संख्या 335 में से वादी को वेदखल करने का कभी प्रयास नहीं किया और प्रतिवादीगण का कब्जा भी नहीं है, वादी खसरा संख्या 335 में अपना हिस्सा बेचान कर चुका है, इसलिए अब उसका दावा चलने योग्य नहीं रहा है। अंत में वादी दुर्गा लाल अपने 1/2 हिस्से की जमीन का बेचान भूलेशदेवी पत्नि निलेश कुमार धाकड को अपने हिस्से की जमीन खसरा संख्या 335 का बेचान कर चुका है, अब खसरा संख्या 335 में वादी के हिस्से की कोई जमीन नहीं है, अब उसका कोई अधिकार नहीं रहा है, बेचान का इन्तकाल संख्या 276 दिनांक 06.09.2021 को तस्दीक किया जा चुका है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध निराधार व झूठा दावा पेश किया है प्रतिवादीगण की वादी से कभी कोई बोल चाल नहीं हुई है उसकी जमीन में कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है, इस मामले में तहसीलदार साहब से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जावे जिससे न्यायालय के सामने सचाई आ जावेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार सरकार को हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिए गए। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं होने से व प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होने से पेरोकार सरकार का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

वादी ने वादपत्र के कथन की पुष्टि मे दस्तावेजी सबूत के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह पी. डब्ल्यू. 01 पेश कर बयान कराए तथा दूस्तावेजी सबूत में ग्राम धारडी पटवार हल्का धावदकलां की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 35 की नकल प्रदर्श -1 व पर्चा मौका दिनांक 30.05. 2017 जो गिरदावर बडौदिया द्वारा बनाया गया को प्रदर्श-2 प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए प्रतिवादी के साक्ष्य न्यायालय द्वारा वंद किये गये। प्रकरण में वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 3 वाद बिन्दु कायम किये गये।

हमने वाद पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम धारडी में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कि वह वादीगण के उक्त खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें। तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर [illegible] तथ्य मनगढन्त व झूठे हैं। वादी दुर्गालाल के दावे में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा [illegible] स्वीकार नहीं है, यह आराजीयात दुर्गालाल व उसके भाई ओमप्रकाश [illegible] अपना हिस्सा भूलेश देवी को बेचान कर चुका है। प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन में 12X[illegible] पर कोई झीकरा नहीं डाला प्रतिवादीगण ने सरकारी रास्ते में जहां पर खडडे हो रहे थे, [illegible] खडडो को भरने के लिए अपने कुए का झीकरा डाल कर रास्ते का लेवल कराया है,वह रास्ता वा[illegible] खातेदारी की जमीन में नही है,सरकारी रास्ता है,वादी की जमीन व आम रास्ते के बीच पत्थरों की 4फुट उची कोट बना रखी है,प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन में ना तो हंकाई बुआई की है और झीकरा भी वादी की जमीन में नहीं डाला है, वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र को मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

तनकी नंबर -1

आया वाद में उल्लेखित आराजी संख्या 335 के कुछ हिस्सा का जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से बेचान हुआ है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के कथन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए गए। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर -2

आया वादी आराजी संख्या 335 मे से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को बेदखल करने का अधिकारी है

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में जमाबंदी सम्वत 2076-79 ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां की आराजी संख्या 335 मी. की जमाबंदी पेश की है जिसमें वादीगण ओमप्रकाश व दुर्गालाल सहखातेदार राजस्व में दर्ज रिकार्ड है। जो कि प्रदर्श-1 है व पर्चा मौका ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां का जो गिरदावर साब द्वारा बनाया गया है जो कि प्रदर्श-2 है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादीगण खातेदार होकर प्रतिवादीगण से कब्जा अपनी भूमि का प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में सफल रहने से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर -3

आया वाद वादी आराजी संख्या 335 मी. पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कराने का अधिकारी है

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने जमाबंदी सम्वत 2076-79 में वादीगण सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जो कि वादीगण प्रदर्श-1 कराए है तथा बयान गवाह में वादी ने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 पेश किया जिसमें विवादित आराजीयात को स्वयं खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होना बताया है। वादीगण विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कराने का अधिकारी है। है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादीगण खातेदार होकर प्रतिवादीगण से कब्जा अपनी भूमि का प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में सफल रहने से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष -

वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में सफल रहने से वादी ग्राम धारडी की आराजी नंबर 335मी. रकबा 1.29 है भूमि का कब्जा वादी प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

-:आदेश:-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धारडी की आराजी नंबर 335 मी. रकबा 1.29है भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण ... उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न किसी ... करे ... ही कब्जा करे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को सुनाया गया। निर्णय ... डिक्री जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:43 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चित्तौडगढ़

Scanned with OKEN Scanner